प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 13.01.2026

#OperationConviction

> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 40,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2018 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट बनाम दोजीराम पुत्र लालमन निवासी ग्राम बसौमा थाना उझानी जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार वर्मा द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा थाना उझानी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13.01.2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट बदायूँ द्वारा आरोपी दोजीराम उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अपराध में 07 वर्ष का कारावास एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । आरोपी दोजीराम उपरोक्त को धारा 366 भादवि के अपराध में 10 वर्ष का कारावास एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । आरोपी दोजीराम उपरोक्त को धारा 6 पॉक्सों एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 पिन्टू शर्मा थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती (एसपीपी) तथा विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक श्री राकेश कुमार वर्मा का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ ।